

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-47/2021

1986

/पटना, दिनांक—24⁶/₂₂

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),
बिहार, पटना।

विषय : मुख्यशीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष—00, लघु शीर्ष—103—ग्राम विकास, समूह शीर्ष—राज्य योजना के अंतर्गत उपशीर्ष—0518—मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित), विपत्र कोड संख्या—37—4515001030518, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए सूची के स्तम्भ—10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

प्रसंग—इस कार्यालय का पत्रांक—BRRDA (HQ)-MMGSY (WB)-275/18-996 /पटना, दिनांक 23.11.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (विश्व बैंक सम्पोषित) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018—19 के लिए कुल—55 (पचपन) अदद पथ योजनाओं के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु पथवार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है। प्रासंगिक पत्र के क्रमांक—20 पर उल्लेखित कार्य प्रमंडल, बायसी के अधीन वित्तीय वर्ष 2021—2022 के लिए कुल 01 (एक) अदद योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ—10 में अंकित राशि के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है :-

क्रम सं०	जिला	कार्य प्रमंडल	प्रखंड का नाम	पथ का नाम	कोर नेटवर्क का क्रमांक	पथ की लम्बाई (कि०मी० में)	कुल जनसंख्या	पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)	पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Purnea	Baisi	Dagarua	T01 Mohamadpur Tilak Chand Nisthal MMGSY to Bhavra Harijan Tola	67	2.550	350	203.840	341.373
			Total			2.550		203.840	341.373

- विभागीय मंत्री महोदय द्वारा निम्न शर्तों के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है :-
 - इस योजना को चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष 2022—23 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
 - कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बायसी योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - स्वीकृत योजना की प्रविष्टि राज्य कोर नेटवर्क के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।
 - कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, बायसी सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।
 - इस योजना के पंचवर्षीय रख-रखाव की राशि 3054 मद से भारित होगा।
- सारणी में अंकित उक्त योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचिका संख्या— BRRDA(HQ)-MMGSY (WB)-47/2021 के पृष्ठ—14 /टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

Handwritten signature


23/6/2022

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

4. योजना के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
5. योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. (क) ब्राडा के लिए निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
(ख) कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
(ग) वित्त विभाग की संकल्प संख्या एम-4-53/2007-3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
(घ) यह राशि उसी मद में खर्च की जाएगी जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
(ङ) प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
(च) योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
(छ) संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-BRRDA(HQ)-MMGSY(WB)-47/2021 पृष्ठ संख्या-...../टि0 पर दिनांक को प्राप्त है।

अनु०-प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न।

विश्वासभाजन




सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: BRRDA(HQ)-MMGSY (WB)-47/2021 1986

/पटना, दिनांक- 24.6.22

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उपविकास आयुक्त, पूर्णियाँ/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/अवर सचिव, बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-3, पटना/मुख्य अभियंता-4/अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, बायसी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा IT Manager, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव

